Dainik Jagran Edition Delhi
26.4.2017 Page 12
Height 15.57cm Width 8.68 cm

राज्यों को आधार आंकड़ों के लीक होने पर चेतावनी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आधार कार्ड के डेटा के लगातार लीक होने की खबरें आने के बाद केंद्र सख्त हो गया है। केंद्र ने राज्य सरकारों को इस डेटा के इस्तेमाल और उसे अपनी वेबसाइटों पर डालने को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। राज्यों से कहा गया है कि आधार के आंकड़ों और लोगों की व्यक्तिगत जानकारी को कहीं सार्वजनिक न करें। यदि राज्य सरकारों में ऐसा कोई करता है तो उसे तीन साल की जेल भी हो सकती है।

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राज्यों से अपनी विभिन्न वेबसाइटों पर डाली जा रही सामग्री की निरंतर समीक्षा करने को भी कहा है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अरुणा सुंदरराजन की तरफ से राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के आधार कार्ड संबंधी जानकारी या बैंक खातों का ब्योरा उनके किसी पोर्टल पर नहीं डाला जा सकता। केंद्र सरकार ने यह कदम आधार के आंकड़ों की लगातार लीक होने की खबरें आने के बाद उठाया है।

पहले झारखंड में लाखों पेंशनरों की आधार संख्या राज्य सरकार की वेबसाइट पर डाले जाने का मामला आया। इसके बाद बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ के खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर पीडीएस लाभार्थियों की आधार संख्या भी जारी हो गई। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के आधार के लीक होने का मामला भी सामने आ चुका है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। आइटी सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकारों को आधार संख्या के इस्तेमाल के वक्त आइटी एक्ट 2000 और आधार एक्ट 2016 के प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए।

सख्ती

- केंद्र सख्त, कहा आधार डेटा के इस्तेमाल में बरतें सतर्कता
- आइटी सचिव ने सभी राज्य सरकारों को लिखा पत्र

उन्होंने अपने पत्र में हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा है कि ऐसे मामले देखने को मिले हैं जब कल्याणकारी योजनाओं के लिए लोगों की आधार संख्या, उनके निवास स्थान की जानकारी और अन्य संवेदनशील जानकारी मसलन बैंक खाता संख्या एकत्र करते वक्त ऑनलाइन सार्वजनिक हो जाती है। आइटी सचिव ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को यह पत्र लिखा है।

पत्र में स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की वित्तीय जानकारी मसलन बैंक खाता संख्या, आधार संख्या आदि को सार्वजनिक करना आइटी अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। ऐसा होने पर पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने का भी प्रावधान है। इसे देखते हुए आइटी सचिव ने राज्य सरकारों से ऐसे कामों में बेहद सतर्कता बरतने को कहा गया है।